MP BIRLA GROUP

Vindhya Telelinks Limited
EPC Division:
M-28. ShasharaDhara Road. KavalVihar.
Dehradun. Uttarakhand - 248 001. India
CIN : L31300MP1983PLC002134 | PAN : AAACV7757J

VTL/FP/UK/OFC/140824/2021/3 **Date: 06.07.2022**

सेवा में ,

प्रभागीय वन अधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग ,
नैनीताल, उत्तराखंड ।

विषय :- जनपद नैनीताल के अंतर्गत खैरना पुल - काकडी घाट - सुयालबारी तक मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 0.36 हेक्टेयर वन भूमि का विंध्या टेलीकॉम लिमिटेड को अनुमति दिए जाने के संबंध में ।

संदर्भ :- आपका पत्रांक **1372/FP/UK/OFC/140824/2021** देहरादून दिनांक **3** दिसंबर, **2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में आपके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न है:-

क्र0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किए जाने वाले अधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपेक्षित हैं।	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किए जाने वाले अधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है ।
2	प्रस्तावित मोटर मार्ग के किनारे किनारे OFC केबिल बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैंडबुक के पैरा 4.1 एवं पैरा 4.2 के अनुसार अपेक्षित ROW की सूचना प्रस्ताव के संलग्न की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण 1980 से पूर्व किया गया है। संबंधित विभागों (लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग) में पूछताछ करने पर पता चला कि मोटर मार्ग से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण के अभिलेख लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
3	OFC केबिल बिछाने हेतु मोटर मार्ग के पूर्व में स्वीकृति पत्रों की प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त निरीक्षण आख्या में (पृष्ठ संख्या 12 से 15 तक) परियोजना क्षेत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त निरीक्षण आख्या में (पृष्ठ संख्या 12 से 15 तक) परियोजना क्षेत्रों के नामों को अंकित कर दिया गया है ।
5	प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या सभी प्रपत्रों के ऊपर नीचे दोनों स्थान पर अंकित की गई है, जिससे प्रमाण पत्रों के अवलोकन करने से पृष्ठ में संख्या की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है । पृष्ठ संख्या एक ही स्थान पर अंकित की जाए।	प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या एक ही स्थान पर अंकित कर दिया गया है ।
6	राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण से संबंधित प्रमाण पत्र में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण से संबंधित प्रमाण पत्र में संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी से हस्ताक्षर हो गए हैं।
7	राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण से हवाई दूरी से संबंधित प्रमाण पत्र में हवाई दूरी अंकित नहीं की गई है।	राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण से हवाई दूरी से संबंधित प्रमाण पत्र में हवाई दूरी को अंकित करके प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव के संलग्न वनाधिकार अधिनियम 1980 के संबंधित ग्राम प्रधान पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में संबंधित ग्राम पंचायत का नाम अंकित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न वन अधिकारी अधिनियम 1980 से संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में संबंधित ग्राम पंचायत का नाम अंकित कर दिया गया है।
9	स्थल विशिष्ट होने ना होने का प्रमाण में प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं है का उल्लेख किया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव में स्थलीय विशिष्ट का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

भवदीय

विंध्या टेलिलिंक्स लिमिटेड

Delhi Office : Ground Floor, Wing-B, Commercial Plaza, Radisson Hotel, Mahipalpur, New Delhi-110 037, India | P +91 1145538800 | F. +91 1126779038 | E: epc@vtlrewa.com
Registered Office :UdyogVihar, P.O. Chorhata, Rewa – 486 006 (M.P.)India, | www.vtlrewa.com